जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में आयकर प्रावधान'

1) धारा 10 (10ए) (iii)) के संराशीकरण के संबंध में छूट :

खंड (23AAB) के अंतर्गत किसी फंड से पेंशन के कम्यूटेशन के रूप में प्राप्त कोई भी भुगतान।

2) धारा 10 (10D) के अंतर्गत परिपक्वता/मृत्यु दावों से प्राप्त राशि पर आयकर छूट

किसी जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि—जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है—उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

3)जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए आय से मिलने वाली कटौती (धारा 80C) *

(ए)करदाता के जीवन पर या उसके जीवनसाथी या किसी बच्चे के जीवन पर बीमा कराने या उसे चालू रखने के लिए चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम, और एच यू एफ के मामले में, उसके किसी सदस्य के जीवन पर किसी बीमा पॉलिसी के तहत चुकाया गया प्रीमियम (डेफर्ड वार्षिकी के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर), जो 31 मार्च 2012 को या उससे पहले जारी किया गया हो, कटौती के लिए केवल वास्तविक बीमित राशि के 20% या चुकाए गए वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो, की सीमा तक ही पात्र होगा।

(बी)करदाता के जीवन पर या उसके जीवनसाथी या किसी बच्चे के जीवन पर बीमा कराने या उसे चालू रखने के लिए चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम, और एच यू एफ के मामले में, उसके किसी सदस्य के जीवन पर किसी बीमा पॉलिसी के तहत चुकाया गया प्रीमियम (डेफर्ड वार्षिकी के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर), जो 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी किया गया हो, कटौती के लिए केवल वास्तविक बीमित राशि के 10% या चुकाए गए वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो, की सीमा तक ही पात्र होगा।

जहाँ पॉलिसी, जो 1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद जारी की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा के लिए है, जो—

(i) धारा 80U में बताए गए अनुसार दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति है, या

(ii)धारा 80DDB के तहत बनाए गए नियमों में बताई गई किसी बीमारी या रोग से पीड़ित है, इस धारा के तहत कटौती केवल वास्तविक बीमित पूंजी राशि का 15 % या भुगतान किए गए वास्तविक प्रीमियम ही अनुमत है, जो भी कम हो। जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में "वास्तविक बीमित पूंजी राशि" का अर्थ उस पॉलिसी के तहत बीमित घटना के घटित होने पर किसी भी समय पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित न्यूनतम राशि से होगा, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में नहीं रखा जाएगा—

(i)किसी भी ऐसे प्रीमियम का मूल्य जिसे वापस करने पर सहमति बनी हो; या

(ii) बोनस के रूप में या किसी अन्य तरीके से, वास्तव में बीमित राशि के अतिरिक्त कोई भी ऐसा लाभ, जो पॉलिसी के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाना हो या प्राप्त किया जा सकता हो।

(सी)आस्थगित वार्षिकी (deferred annuity) अनुबंध को प्रभावी बनाने या उसे जारी रखने के उद्देश्य से आस्थगित वार्षिकी योजनाओं में योगदान, चाहे वह स्वयं के जीवन पर हो, या जीवनसाथी के जीवन पर, या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के जीवन पर हो; बशर्ते कि ऐसे अनुबंध में बीमित व्यक्ति द्वारा वार्षिकी भुगतान के बदले नकद भुगतान प्राप्त करने का विकल्प चुनने का कोई प्रावधान न हो, तो यह कटौती के लिए पात्र है।

(डी)वार्षिकी योजनाओं में योगदान – न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा-I, न्यू जीवन अक्षय, न्यू जीवन अक्षय-I, न्यू जीवन अक्षय-II, जीवन अक्षय-III, जीवन अक्षय-VI और जीवन अक्षय-VII

4)कुछ पेंशन फंड में योगदान के संबंध में कटौती (धारा 80CCC के तहत) *

किसी व्यक्ति को, पेंशन पाने के लिए (पेंशन योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित फंड से) ऊपर बताए गए वार्षिकी प्लान में अपनी कर योग्य आय (Taxable Income) से भुगतान की गई या जमा की गई किसी भी राशि के लिए कटौती की अनुमति है।

* नोट: धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत कटौती की कुल राशि किसी भी स्थिति में एक लाख पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी।

5) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती (धारा 80D)

ए)किसी व्यक्ति के मामले में, ₹25,000/- तक की कटौती की अनुमति है, यदि कोई राशि करदाता या उसके परिवार (यानी पति/पत्नी और आश्रित बच्चे) के स्वास्थ्य बीमा को चालू रखने के लिए भुगतान की जाती है, या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कोई योगदान दिया जाता है, या ऐसी कोई अन्य योजना जिसे केंद्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचित करे, या करदाता या उसके परिवार के निवारक स्वास्थ्य जांच (Preventive health check-up) के लिए भुगतान किया जाता है।

बी)किसी व्यक्ति के मामले में, ₹25,000/- तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है, यदि कोई राशि माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा को चालू रखने के लिए भुगतान की जाती है, या करदाता के माता-पिता के निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान किया जाता है, चाहे वे आश्रित हों या न हों।

सी) एच यू एफ के मामले में, अगर उस एच यू एफ के किसी सदस्य की सेहत का बीमा चालू रखने के लिए कोई रकम चुका जाती है, तो Rs. 25,000/- तक की कटौती की छूट मिलेगी।

डी) अगर (ए) या (बी) या (सी) में बताई गई रकम, किसी ऐसे व्यक्ति की सेहत का बीमा करवाने या उसे चालू रखने के लिए चुकाई जाती है जो वरिष्ठ नागरिक है, तो Rs. 50,000/- तक की कटौती की छूट मिलेगी। यहाँ वरिष्ठ नागरिक का मतलब उस व्यक्ति से है जिसकी उम्र पिछले साल के दौरान साठ साल या उससे ज़्यादा थी।

ई) अगर (ए) या (बी) या (सी) में बताई गई रकम निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए चुकाई जाती है, तो ऐसी रकम पर कटौती की छूट तब तक मिलेगी, जब तक कि वह कुल मिलाकर Rs. 5,000/- से ज़्यादा न हो; यह कटौती Rs. 25,000 या Rs. 50,000 (जैसा भी मामला हो) की कुल सीमा के अंदर ही होगी।

एफ़) कटौती का फ़ायदा लेने के लिए, भुगतान इन तरीकों से किया जाना चाहिए:

i. निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए चुकाई गई किसी भी रकम के मामले में, भुगतान किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कैश भी शामिल है।

ii. बाकी सभी मामलों में, भुगतान कैश के अलावा किसी भी दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए।

जी) ऊपर बताया गया बीमा, नीचे दी गई संस्थाओं में से किसी एक द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक होना चाहिए:

आय) जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (GIC), जिसे इस मामले में केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दी हो; या ii) कोई भी दूसरा बीमा देने वाला, जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) ने मंज़ूरी दी हो।

6)किसी ऐसे आश्रित के भरण-पोषण , जिसमें चिकित्सा उपचार भी शामिल है, के संबंध में कटौती, जो दिव्यांग व्यक्ति है (धारा 80DD):

कुल आय में से ₹75,000/- तक की कटौती की अनुमति है; यह कटौती उस राशि पर मिलती है जो किसी दिव्यांग आश्रित के भरण-पोषण के लिए LIC की 'जीवन आधार' या 'जीवन विश्वास' योजना के तहत जमा की गई हो (यदि दिव्यांग आश्रित गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित है, तो यह कटौती ₹1,25,000/- तक हो सकती है)।

7)जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान पर टैक्स कटौती (धारा 194DA और 195):

यदि कोई जीवन बीमा पॉलिसी, धारा 10(10D) के प्रावधानों के तहत टैक्स से छूट प्राप्त नहीं है, तो उसके भुगतान पर टैक्स की कटौती की जाएगी।

अस्वीकरण:- ऊपर दी गई सामग्री केवल जानकारी के उद्देश्य से है, ताकि पाठकों को जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधानों तक त्वरित और आसान पहुँच मिल सके; इसे कानूनी दस्तावेज़ नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम ऊपर दी गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता की कोई गारंटी नहीं देता है। यदि ऊपर कही गई बातों संबंधित अधिनियम, नियमों, विनियमों, पॉलिसी विवरणों आदि में दी गई जानकारी के बीच कोई अंतर पाया जाता है, तो बाद वाली जानकारी ही मान्य होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम न तो किसी भी तरह से इसका समर्थन करता है, न ही कोई निर्णय या गारंटी देता है; साथ ही, इन वेबसाइटों पर आपके विज़िट करने और लेन-देन करने के कारण स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के किसी भी उल्लंघन या प्रामाणिकता से संबंधित किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करता है।

(टिप्पणी : यदि किसी शर्तो और निबंधनों और विशेष प्रवधानो / शर्तो के संबंध मे कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा |)